1017
16/2/13
बिहार विधान मंडल पुस्तकालय
शोध/संदर्भ ग्रंथ

खण्ड-2 संख्या-17

एकादश बिहार विधान-सभा वादवृत्त

(भाग-1 कार्यवाही प्रश्नोत्तर)

सत्यमेव जयते

दिनांक : 21 जून, 1995 ई०

2. क्या यह बात सही है कि उक्त पथ का पक्कीकरण अभी तक नहीं किया गया है;

3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो सरकार उक्त सड़क का पक्कीकरण कबतक कराने का विचार रखती है, और नहीं, तो क्यों?

श्री जगदानन्द सिंह : 1. प्रश्नांकित पथ पर ईंट सोलिंग कर दिया गया है। पुराने रिकार्ड उपलब्ध न होने के कारण, यह कहना कठिन है कि ईंट सोलिंग के बाद उक्त पथ के पक्कीकरण की कोई योजना थी अथवा नहीं।

2. यथा खण्ड 1 में।

3. वर्त्तमान वित्तीय स्थिति में, उक्त सड़क के पक्कीरण की कोई योजना नहीं है।

वेतन का भुगतान

*1331. **श्री कृष्ण बल्लभ प्रसाद** : क्या मंत्री, जल संसाधन विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि–

1. क्या यह बात सही है कि मुख्य अभियंता, सिंचाई विभाग, दरभंगा ने अपने पत्रांक–1596, दिनांक–30–7–87 द्वारा श्री रेवती रमण झा, लिपिक, एन्टी मलेरिया ईकाई, पश्चिमी कोशी नहर प्रमंडल, झंझारपुर का वर्ष 1966 से 1982 तक निलम्बित अवधि के वेतन भुगतान करने का आदेश हेतु पत्र लिखा था;

2. क्या यह बात सही है कि सिंचाई विभाग द्वारा अभी तक श्री झा के वेतन हेतु आदेश निर्गत नहीं किया गया है;

3. यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार मुख्य अभियंता के पत्रांक–1596, दिनांक–30–7–87 के आलोक में श्री झा के उक्त अवधि का वेतन भुगतान करने हेतु कौन सी कार्रवाई कबतक करना चाहती है, नहीं तो क्यों?

श्री जगदानन्द सिंह : 1. उत्तर स्वीकारात्मक है।

2. उत्तर स्वीकारात्मक है।

3. श्री झा के विरूद्ध कुल 57 आरोप लगाये गये थे, जिसके आधार पर उनके विरूद्ध विभागीय कार्रवाई का गठन किया गया था। उनमें मात्र तीन अभियोगों के संबंध में न्यायालय में उन्हें दोष मुक्त पाया है और वह भी इस कारण कि संबंधित तीन अभियोगों के संबंध में गवाहों द्वारा गवाही देने में शिथिलता दिखाई गई। शेष 54 आरोप श्री झा के विरूद्ध अभी भी जीवन्त हैं जिसके लिए उनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही चलाई गई थी। विभागीय कार्यवाही में इन आरोपों का क्या फलाफल हुआ इसकी जानकारी प्राप्त नहीं है, क्योंकि श्री झा से संबंधित सूचिका तथा अन्य सुसंगत अभिलेख क्षेत्रीय कार्यालय में अनुपलब्ध बताये जाते हैं। अतः मुख्य अभियंता, दरभंगा को पुनः पत्रांक–2310 दिनांक–8–8–94 द्वारा अनुदेश दिया गया है कि वे संबंधित सूचिका एवं अभिलेखों को खोज करें और उसके आधार पर विभागीय कार्यवाही में निर्णय लें, परन्तु यदि पुरानी सूचिका एवं अभिलेख उपलब्ध न हो सके तो उक्त 54 आरोपों के संबंध में श्री झा से पुनः स्पष्टीकरण प्राप्त कर उसकी समीक्षा करें और निर्णय लें कि श्री झा प्रसंगाधीन आरोपों के लिए दोषी है अथवा नहीं। मुख्य अभियंता की जाँच के फलाफल के पश्चात् ही श्री झा को दि०–1–8–66 से 31–12–82 तक निलम्बन अवधि के लिए वेतन भुगतान के संबंध में सम्यक निर्णय लिया जा सकेगा।